

संदर्भ संख्या सीजीटीएमएसई/पीएमस्वनिधि /261

दिसंबर 26, 2025

सभी पात्र ऋणदात्री संस्थाएं

परिपत्र संख्या 255/ 2025- 26

महोदया / प्रिय महोदय,

**पीएम स्वनिधि के लिए क्रेडिट गारंटी योजना - योजना के दिशानिर्देशों में संशोधन और
क्रेडिट कार्ड सुविधा जारी करना**

कृपया पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए पात्र सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एमएलआई) को गारंटी कवरेज प्रदान करने वाले पीएम स्वनिधि (सीजीएस-पीएमएस) के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के शुभारंभ के संबंध में 22 जुलाई, 2020 के हमारे परिपत्र संख्या 172/2020-21 का संदर्भ लें।

इस संबंध में, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार द्वारा अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ नंबर 12017(30)/2/2020-यूपीए-II-यूडी (ई-9088388) दिनांक 16 सितंबर, 2025 द्वारा संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और इसे अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया गया है। संशोधित दिशा-निर्देश 27 अगस्त, 2025 से प्रभावी हैं। कृपया इस परिपत्र की विषय-वस्तु को अपने सभी कार्यालयों के ध्यान में लाएँ।

कृपया योजना के दिशानिर्देशों से संबंधित किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में अपनी पृच्छाएं querysvs@cgtmse.in पर हमें निःसंकोच भेजें।

भवदीय,

ह/-

(धीरज कुमार)

उप महाप्रबंधक

